न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.-- 1760/2016

उनवान

1 श्रीमति सोहनी पुत्री खेता उर्फ खेमा रेगर पत्नि रामदेव रेगर निवासी आ.के. कॉलोनी भीलवाडा।

—वादीया

बनाम

1 मदनलाल रेगर पिता लादूलाल रेगर निवासी हुरडा तहसील हुरडा।
2 लादू पिता काना रेगर निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
3 गणपत पिता काना रेगर निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
4 अम्बालाल पिता मोहन रेगर, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
5 मानमल पिता मोहन रेगर, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
6 रामलाल पिता मोहन रेगर, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
7 गीता पुत्री मोहन रेगर निवासी हुरडा तहसील हुरडा ।
8 अनोपी बेवा मोहन रेगर, निवासी हुरडा , तहसील हुरडा ।
9 गोपाल पिता नारु रेगर , निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
10 रामचन्द्र पिता नारु रेगर, निवासी हुरडा तहसील हुरडा ।
11 रतन पिता नारु रेगर, निवासी हुरडा तहसील हुरडा ।
12 मुकेश पिता नारु रेगर, निवासी हुरडा तहसील हुरडा ।
13 मु0 गुलाबी बेवा हुक्मा रेगर, निवासी हुरडा तहसील हुरडा ।
14 दुर्गालाल पिता रायमल रेगर निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
15 चान्दमल पिता रायमल रेगर, निवासी हुरडा , तहसील हुरडा ।
16 कैलाश पिता रायमल रेगर, निवासी हुरडा , तहसील हुरडा ।
17 चान्दी पुत्री नारायण पत्नि लादू रेगर, निवासी हुरडा तहसील हुरडा।
18 गीता पुत्री नारायण पत्नि हरिकिशन रेगर, निवासी हुरडा तह.हुरडा।
19 गणी पुत्री नारायण पत्नि माधु रेगर, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा।
20 रामेश्वर पिता मांगू रेगर, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
21 रामप्यारी पुत्री मांगू रेगर, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
22 रामजीवणी पुत्री मांगू रेगर, निवासी हुरडा , तहसील हुरडा ।
23 प्रताप पिता दयाराम रेगर, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
24 रतनलाल पिता गिरधारी खटीक निवासी हुरडा , तहसील हुरडा।
25 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा तहसील हुरडा ।

प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

उपस्थित :– श्री मोहम्मद निशार वकील वादी ।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 53, 92 (ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

Scanned by CamScanner

–:निर्णयः–

दिनांक– 18.06.2018

1– वादीया के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा हुरडा तहसील हुरडा की खाता संख्या– 421 पर आराजी नम्बर– 1166, 1167, 1169 किता 3 रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा स्थित है।

2– मौजा हुरडा मगरा तहसील हुरडा में खाता संख्या– 424 आराजी नम्बर– 1302, 1303, 1304 किता 3 रकबा 33 बीघा 11 बिस्वा स्थित है।

3– कमल नम्बर– 01 में वर्णित के साबिक नम्बर– 757 रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 में देवी पिता लाला, जेठू दयाराम, खेता उर्फ खेमा पिता देवा रेगर के नाम पर दर्ज स्थित थी, उसके बाद की रोटेशन पद्धति के तहत जमाबन्दी नही बनी क्योंकि उसके बाद सेटलमेन्ट की कार्यवाही शुरु हो गई जिसके तहत सेटलमेन्ट के विभाग के द्वारा अपने कर्तव्यों व अधिकारों के विपरित जाकर देवी पिता लाला, जेठू, दयाराम, खेता पिता देवी रेगर के बजाय आराजी नम्बर– 757 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा को काना वल्द लाला 1/6, जेठू वल्द देवा 1/6, गोगा, हुक्मा, मांगू, रामयल पिता लक्ष्मण 1/3 खेमा वल्द देवी 1/6, प्रताप वल्द दयाराम 1/6 रेगर के नाम पर दर्ज कर दी गई।

4– राजस्व विभाग व सेटलमेन्ट अधिकारियों के द्वारा अपने कर्तव्यों से परे जाकर जबकि सेटलमेन्ट अधिकारियों को मात्र जमाबन्दी लेखनी दुरुस्त करने की थी उससे आगे जाकर मनमानी तौर पर वादीया के वली के नाम को हटाकर गोगा, हुक्मा, मांगु, रायमल पिता लक्ष्मण 1/3 से दर्ज कर दी जो कानूनन अवैध होकर निरस्त होने योग्य है।

5– वादीया सेटलमेन्ट अधिकारियों की गलती जो उनके द्वारा नाजायज व अवैध पर तौर पर वादीया के वली को हटा कर गोगा, हुक्मा, मांगू, रायमल पिता लक्ष्मण 1/3 कर दी को दुरुस्त कराने व अपने वली की स्थिति के अनुसार अपने नाम पर खातेदारी हक से दर्ज कराने की अधिकारिणी है व इस आश्य की घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने के लिए अधिकृत है।

6– उक्त आराजीयात सम्मिलित खाते में दर्ज होने से दरमियान फरिकेन आराजीयात को काश्त करने फसल काटने घास काटने लगान वगैरा जमा कराने में काफी परेशानी रहती है इसलिए वादीया उक्त आराजी का माफिक हक हिस्सा अनुसार विभाजन कराना चाहती है व इस आशय की घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है ।

7– प्रतिवादी संख्या– 9 से 16 बिना विभाजन कराये अन्य को विशिष्ठ हिस्सा विकय करने व उसका अन्तरण करने कराने पर आमादा हो रहे है तथाप्रतिवादी नम्बर– 9 से 16 मिलकर वादीया को उसके हिस्से से

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

जबरन बेदखल कर अपना आधिपत्य करना चाहते है और वादीया को फसल काश्त करने से रोकते है जो कृत्य उनका अवैध व नाजायज होकर कानून की मंशा के विपरीत होने से इससे रुके रहने बाबत उनको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में है वरना वादीया को अपनी हक उपभोग की आराजी से वंचित रहकर ऐसी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति असम्भव है।

8– वादीया व उसके पति रामदेव ने खातेदारों को कई बार उक्त आराजीयात का बंटवारा कराने की कहा व प्रतिवादी नम्बर– 9 से 16 को वादी के खाते में दर्ज करने की कहा जिस पर जल्द बंटवारा व खाते में दर्ज कराने की कहते आ रहे थे व दिनांक 10.07.2016 को वादीया अपनी आराजी पर गई तब प्रतिवादी नम्बर–9 से 16 के द्वारा आराजी को खाते में दर्ज कराने से इन्कार कर दिया ।

9– अन्त में अंकित किया कि आराजी मुतदाविया मुन्दर्जे वादपत्र की कलम नम्बर– 1 में साबिक जमाबन्दी के अनुसार खेता पुत्र देवा रेगर के हिस्से का गलत विरासत का इन्काल गोगा, हुक्मा, मांगू, रायमल पिता लक्ष्मण 1/3 के नाम पर खोल दिया व उनकी मृत्यु उपरान्त विरासत से इन्तकाल खुला को दुरुसत कराते हुये खेता रेगर के हिस्से की आराजी को वादीया के खाते में खातेदारी हक से दर्ज कराने की घोषणात्मक डिकी बहक वादीया प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावें । आराजी मुतदाविया मुन्दर्जे वादपत्र कलम नम्बर–1 व 2 के लिए विभाजन की डिकी माफिक हिस्सा आराजी नम्बर, रकबा व लगान की तसरीह के साथ बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावें । बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादी 9 से 16 स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस अमर की जारी फरमाई कि वो स्वयं या अन्य द्वारा वाद में वर्णित आराजीयात का बिना विभाजन विशिष्ठ हिस्से का विक्रय व अन्तरण करने कराने तथा वादी को उसके हिस्से से जबरन बेदखल करने कराने से रुके रहे व वादीया को उसके हिस्से की आराजी में फसल काश्त करने कराने से नही रोके । यदि दौराने कार्यवाही मुकदमा प्रतिवादीगण इसमें सफल हो जावें तो पुनः उनके खर्चे से आज की स्थिति रेस्टोर कराई जावें ।

10 प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या 4, 5, 20 की और से श्री भानुप्रताप कैलानी ने वकालतनामा पेश कर जवाबदावा का अवसर चाहा गया। प्रतिवादी संख्या– 1, 2, 3 , 6–19 एवं 21–24 बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 22.02.2017 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये। तथा प्रकरण वास्ते जवाबदावा प्रतिवादी संख्या– 4, 5, 20, 25 में नियत किया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

11 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट हुरडा पर पेश हुई । वकील वादी उपस्थित हुये । जिनके द्वारा प्रतिवादी संख्या– 4, 5, 20 के विरुद्ध कार्यवाही नही चाहने से प्रतिवादी संख्या– 4, 5, 20 के विरुद्ध

Scanned by CamScanner

कार्यवाही ड्राप की गई । प्रतिवादी संख्या– 23 प्रताप रेगर के द्वारा दिनांक 05.04.2017 को प्रस्तुतशुदा ईकबालिया जवाबदावा शामिल मिसल रहे ।

12 वकील वादी के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील वादी की एकतरफा बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि जमाबन्दी सम्तव् 2018– 2021 में साबिक आराजी नम्बर– 757 रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा भूमि देवी पिता लाला जेठू, दयाराम, खेता उर्फ खेमा पुत्र देवा रेगर के नाम पर दर्ज थी । उसके बाद रोटेशन की जमाबन्दी नही बनी तथा सेटलमेन्ट कार्यवाही शुरु हो गई । वकील वादी का बहस में यह भी कथन था कि सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा अपने अधिकारों से परे जाकर देबी पिता लाला, जेठू, दयाराम, खेता, पिता देबी रेगर के बजाय काना, पिता लाला 1/6 जेठू वल्द देवा 1/6, गोगा, हुक्मा, मांगू, रायमल, पिता लक्ष्मण 1/3, खेमा पिता देवी 1/6, प्रताप पिता दयाराम के नाम दर्ज कर दी (सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीया के वली का नाम हटाकर गोगा, हुक्मा, मांगू , रायमल पिता लक्ष्मण 1/3 दर्ज किया जो अवैध होकर निरस्त योग्य है। अन्त में कथन किया कि खेता की हक हिस्से की आराजी वादीया के खाते में खातेदारी हक से दर्ज करवाया जाने की घोषणात्मक डिक्री फरमायी जावें ।

13 मैने वकील वादी को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से है–

14 वादीया के द्वारा प्रस्तुत जमबान्दी सम्वत् 2018–21 मौजा हुरडा मगरा की वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर– 757 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा भूमि अन्य आराजीयात के साथ देबी पिता लाला, जेठू दयाराम पिता देवा रेगर, साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

15 साबिक आराजी नम्बर– 757 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा के सेटलमेन्ट के बाद नये नम्बर– 1166, 1167, 1169 किता 3 रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा बनाये गये हो । ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही कराया गया है। वादीया के द्वारा जो सेटलमेन्ट का पर्चा खतौनी उपलब्ध कराया गया है पर्चा खतौनी से साबिक नम्बरों के हाल नम्बर बनना प्रमाणित नही होते है। साथ ही वादीया के द्वारा विवादित आराजीयात की सम्वत् 2031–37 तक उसके बाद सीधे ही हाल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 की पेश की है। इन जमाबन्दीयों के मध्य की सम्वत् 2038–70 तक का कोई राजस्व रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नही कराया गया है। जिससे यह प्रमाणित होता हो कि विवादित भूमि पैतृक सम्पति हो । चुँकि राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज परिवर्तन किसी न किसी माध्यम से /नामान्तकरण से किया जाता है। पर्चा खतौनी से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज परिवर्तन नही होते है। यदि वादीया खसरा मिलान की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर देते तो अवश्य ही उसमें सेटलमेन्ट की मिसल या इन्तकाल का उल्लेख होता जिससे यह स्पष्ट हो जाता कि किस मिलस या किस नामान्तकरण से गोगा, हुक्मा, मांगू, रायमल पिता लक्ष्मण 1/3 दर्ज हुआ था। इस प्रकार वादी के द्वारा तथ्यों को छिपाकर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

वादीया राजस्व रिकार्ड में लक्ष्मण के वारिसानों का नाम राजस्व रिकार्ड में हटवाना चाहती है जो कतई उचित प्रतीत नहीं होता है । लिहाजा दावा वादी खारिज योग्य है ।

—: निर्णय :—

दावा वादी खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली [illegible] कैसल होकर दाखिल दफ्तर करें । निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को खुली अदालत ओपन कोर्ट हुक्म पर सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर [illegible])
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) ज्ञानपुर
जिला- भदोही

Scanned by CamScanner